न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00264 (133/2018) दायरा दिनांक : 07.08.2018

उनवान

देवेन्द्र व्यास आत्मज कन्हैयालाल जी, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं. च 11 सावरमती कालोनी, कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1. कालूलाल आत्मज बलराम जी, जाति धाकड,
2. बाबू लाल आत्मज बलराम जी, जाति धाकड,
3. सत्यनारायण आत्मज बलराम जी, जाति धाकड,
4. द्वारका बाई पुत्री बलराम जी, जाति धाक़ड,
5. मथरी बाई बेवा बलराम जी, जाति धाकड,
   निवासीगण ग्राम मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां
6. मनोज कुमार आत्मज ओम प्रकाश जी, जाति धाकड
7. रामलाल आत्मज गंगोलिया, जाति माली,
8. बंशीलाल आत्मज गंगोलिया, जाति माली,
   निवासीगण ग्राम मण्डोला, तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225(251–ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 04.09.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 43/2015 निर्णय दिनांक 22.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मण्डोला, पटवार क्षेत्र मण्डोला की जमाबंदी संवत 2066–2069 नया 68 पुराना 72 की आराजी खसरा नं. 2407 रकबा 0.01 हेक्टर व खसरा नं. 2408 रकबा 3.36 हेक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की है। ग्राम मण्डोला की आराजी खसरा नं. 2406 रकबा 2.20 हेक्टर अप्रार्थी कम 1 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खातेदारी एवं स्वामित्व की है तथा खसरा नं. 2405 रकबा 2.14 हेक्टर अप्रार्थी कम 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय, संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का नोटिस एवं सूचना प्रदान किये बिना ही अपीलांट की खातेदारी की आराजी 2686/2406 रकबा 0.80 हेक्टर भूमि पर रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 को रास्ता प्रदान करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रस्तुत करना उल्लेखित किया है जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प में सभी पक्षकारान की सहमति व राजीनामा पर ही किसी प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को लोक अदालत का नोटिस प्रदान किया, ना ही सभी पक्षकारान की सहमति व समझौता पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली वास्ते तलबी एवं जवाब में नियत होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों व सिविल प्रकिया संहिता का पालना किये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से आदेश प्रदान किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अन्तर्गत धारा 251 (ए) में यदि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 के पास अन्य रास्ता नहीं होना प्रमाणित नहीं होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान को नोटिस जारी करने से पूर्व मौका देखेगा तथा भू लेख अधिकारी से रिपोर्ट तैयार करवाने के बाद विधि द्वारा प्रारूप के नोटिस रेस्पोडेंट कम 6 लगायत 8 के नाम जारी करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पत्रावली पर इस बात की साक्ष्य दर्ज की कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 के पास पूर्व से प्रचलित रास्ता मौजूद है या नहीं है इस बात की साक्ष्य लिये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है जबकि अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत हल्का पटवारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और न ही उक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट का खण्डन करने का अवसर अपीलांट को प्रदान किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 के पास पूर्व से

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रचलित रास्ता मौजूद है जिसे हमेशा की भांति आज भी अपनी आराजी पर आते जाते रहे हैं। अपीलांट की आराजी में से होकर रेस्पोडेंट का कभी भी रास्ता नहीं रहा है, अपीलांट की आराजी मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा रेस्पोडेंट की आराजी अपीलांट की आराजी से काफी दूर है। केवल मात्र सुविधा की दृष्टि से रेस्पोडेंट के पक्ष में आदेश प्रदान किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.07.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस मानने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हमने खसरा नं. 2405 व 2406 की आराजी के रास्ते के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण 251 (ए) का नहीं मानकर प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया। देवेन्द्र ने वादग्रस्त आराजी कय कर धारा 96 सी. पी. सी. में अपील लेकर आया है। मौके पर पूर्व से ही गडार है इससे अपीलांट को कोई हानि नहीं होती है। देवेन्द्र ने ओम प्रकाश से ही वादग्रस्त आराजी कय की है। ओम प्रकाश ने बयान में स्वयं स्वीकार किया है कि हमारी आराजी से निकलता है। गडार भूमि कय से पहले से बनी है। अतः कय करने से कोई अपील लाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपील सारहीन है। अतः खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध धारा 96 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार साबित करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र एवं अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–2073, दानपत्र दिनांक 12.01.2015, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2066 से 2069, खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2069, विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2003 उक्त समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां पेश की है, जो वर्तमान अपील के अंतिम रूप से निरस्तारण हेतु विधि मान्य रूप से पठनीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित नकल के अभाव में अपीलांट को विधिवत रूप से विवादित आराजी में हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलांट प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में स्वयं को विवादित आराजी में हितबद्ध पक्षकार साबित करने में असफल रहे हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी. पी.सी. खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के स्तर पर ही खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/09/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा